न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 फैजाबाद ।

उपस्थितः—**अभिनव तिवारी** (उ0प्र0न्यायिक सेवा)

राज्य बनाम सलमान अहमद

मुकदमा वाद संख्या—555/19

मु0अ0सं0—134/18

धारा—498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0

व धारा—3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना—हैदरगंज, फैजाबाद।

निर्णय

थाना—हैदरगंज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सलमान अहमद, इलियास उर्फ पप्पु, शकिला के विरूद्ध मु0अ0सं0 134/2018 अंतर्गत धारा—498ए, 323, 504, 506,भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियमके अंतर्गत आरोप—पत्र प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की शादी मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसर विपक्षी संख्या—1 के साथ दिनांक 7.11.2016 को पिताजी के घर पर संपन्न हुयी थी। शादी में पिताजी ने विपक्षी को अपने हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था जिसमें कुलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, गाड़ी सुपर स्पेलेंडर हीरो, गोदरेज की आलमारी, सोने की दो अंगूठी, व एक लाख रूपया नकद व बेड आदि तमाम समान दिया था। प्रार्थिनी की शादी में विदायी भी हुयी थी। विदायी के दूसरे दिन ही विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी से चार लाख रूपया अपने पिता से नकद दिलवाने की बात किया। ऐसा न करने पर छोड़ देने की धमकी देने लगे। प्रार्थिनी ने दूसरे दिन अपने ससुराल से विदा होकर अपने मायके गयी और अपने माता—पिता से ससुराल वालों के चार लाख रूपये मांगने की बात बतायी लेकिन पिताजी ने कहा कि घबराओ नहीं सब ठीक हो जायेगा। प्रार्थिनी एक सप्ताह बाद अपने ससुराल गयी विपक्षीगणों ने पुनः प्रार्थिनी को चार लाख रूपये पिताजी से दिलाने का दवाब बनाया तथा प्रार्थिनी को भददी—भददी गाली एवं मारना पीटना शुरू किया चार लाख रूपया न दिलाने पर जान से मारने की धमकी दिया तथा दिनांक 5.5.2017 को प्रार्थिनी का पति विपक्षी संख्या—1 रोजगार के सिलसिले में विदेश चला गया। विपक्षी संख्या—1 के विदेश चले जाने के बाद प्रार्थिनी के सास ससुर विपक्षी संख्या—2 व 3 ने दिनांक 10.5.2017 को दहेज के खातिर प्रार्थिनी का सारा सभी धन छीन लिया तथा प्रार्थिनी को गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी अपने मायके आयी

और अपने माता पिता से सारी घटना बतायी तथा प्रार्थिनी का पति विदेश से दहेज के लिए प्रार्थिनी के मोबाईल पर फोन करके तलाक की धमकी दे रहा है। उक्त आशय की लिखित सूचना थाना हैदरगंज में दी गयी तथा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 134/2028 अंतर्गत धारा –498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। वाद विवेचना न्यायालय में मु0अ0सं0 134/2028 अंतर्गत धारा –498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया । अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा अपनी जमनात करायी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां अंतर्गत धारा 207 दं0प्र0सं0 प्रदान की गयी।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा – 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दिनांक 15.10.2020 को आरोप पत्र बनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में पी0डब्ल्यू01 चांदतारा को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी जिस पर प्रदर्श डाला गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा गवाहों के बयान को गलत एवं रंजिश के आधार पर दिया जाना कहा है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू01 चांद तारा जो कि स्वयं वादिनी मुकदमा हैं ने अपने मुख्य बयान में कथन किया कि मेरी शादी दिनांक 7.11.2016 को सलमान अहमद पुत्र मो0 इलियास उर्फ पप्पु के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न हुयी थी। शादी में पिताजी ने विपक्षी को अपने हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था जिसमें कुलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, गाड़ी सुपर स्पेलेंडर हीरो, गोदरेज की आलमारी, सोने की दो अंगूठी, व एक लाख रूपया नकद व बेड आदि तमाम समान दिया था। प्रार्थिनी की शादी में विदायी भी हुयी थी। विदायी के दूसरे दिन ही विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी से चार लाख रूपया अपने पिता से नकद दिलवाने की बात किया। ऐसा न करने पर छोड़ देने की धमकी

देने लगे। प्रार्थिनी ने दूसरे दिन अपने ससुराल से विदा होकर अपने मायके गयी और अपने माता–पिता से ससुराल वाालों के चार लाख रूपये मांगने की बात बतायी लेकिन पिताजी ने कहा कि घबराओ नहीं सब ठीक हो जायेगा। प्रार्थिनी एक सप्ताह बाद अपने ससुराल गयी विपक्षीगणों ने पुनः प्रार्थिनी को चार लाख रूपये पिताजी से दिलाने का दवाब बनाया तथा प्रार्थिनी को भददी–भददी गाली एवं मारना पीटना शुरू किया चार लाख रूपया न दिलाने पर जान से मारने की ामकी दिया तथा दिनांक 5.5. 2017 को प्रार्थिनी का पति विपक्षी संख्या–1 रोजगार के सिलसिले में विदेश चला गया। विपक्षी संख्या–1 के विदेश चले जाने के बाद प्रार्थिनी के सास ससुर विपक्षी संख्या–2 व 3 ने दिनांक 10.5.2017 को दहेज के खातिर प्रार्थिनी का सारा सभी ान छीन लिया तथा प्रार्थिनी को गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी अपने मायके आयी और अपने माता पिता से सारी घटना बतायी तथा प्रार्थिनी का पति विदेश से दहेज के लिए प्रार्थिनी के मोबाईल पर फोन करके तलाक *की* धमकी दे रहा है। मैं हैरान व परेशान होकर एक प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी महोदय बीकापुर का दिया था इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ । मैंने प्रार्थना पत्र आल लाईन दिया था, जिसकी कापी निकालकर और उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर सी0ओ0 को दिया था। प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है इसे देखकर गवाह ने पहचान की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया ।

इस प्रकार अभियेाजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू01 वादिनी मुकदमा ने अभियेाजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु जब इस साक्षी से जिरह की गयी तो उसने अपने प्रतिपरीक्षा में सशपथ पूर्वक बयान किया कि शादी में विदा होकर जब मैं अपने ससुराल गयी तो दो दिन ससुराल में रही उसी दिन से मेरे व मेरे पति में ताल–मेल नहीं बैठ रहा था फिर भी मैं अपने मायके से ससुराल गयी थी । हम दोनों के संसर्ग से एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा था । पति को विदेश न जाने के लिए मैंने हट कर दिया इसी पर मेरे पति मुझसे नाराज हो गये और मुझे छोड़कर विदेश चले गये । इसके बाद मेरे सास व ससुर पति के विदेश जाने पर मुझसे नाराज रहने लगे थे। मेरे देवर अयूब अहमद मेरे पति के जाने के पहले से ही सूरत चले गये थे। शादी होने के लगभग एक साल के बाद भी नहीं आये मेरे पति मुझसे फोन से बात करते थे, लेकिन आने की बात नहीं किए जिससे मैं अपने को असहाय समझ कर यह प्रार्थना पत्र सी0ओ0 महोदय को दे दिया था , जबकि मेरे पति सलमान अहमद, इलियासस ससुर शकीला सास ने न तो मुझसे कभी दहेज के चार लाख रूपये मांगे न ही मारे पीटे थे व न जान से मारने की धमकी दिए थे। पति ने

फोन पर तलाक की धमकी नहीं दी थी बच्चों के पैदा के बाद मैंने अपने पति से फोन से बात नहीं की थी और न मैं अपने पति का फोन उठाती थी मैं सोचती थी मेरे पति विदेश से आकर मुझे ले जायेंगे। ऐसा न देखते हुए गांव के कुछ लोग मुझे बहला–फुसलाकर उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध सी0ओ0 के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र के देने की जानकारी होने पर मेरे पति मुझे बुलाने नहीं आये तब मैंने भरण–पोषण का मुकदमा किया था, जिसमें मेरे पति हाजिर नहीं हुए फिर भी मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए मैंने भरण–पोषण के दावे को मैंने उठा लिया। न्यायालय द्वारा हम लोगों के विवाह विच्छेद का आदेश हुआ। इस आदेश से मैं संतुष्ट हूं। दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया मै नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि न्यायालय द्वारा लड़की मेरे साथ रहने के आदेश होने के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूं। यह कहना गलत है कि मेरे पति सास–ससुर ने दहेज की मांग की थी। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने मुझे गाली–गुप्ता व जाने से मारने की धमकी दी थी। मैंने जो बयान मुख्य परीक्षा में दिया है वह गलतफहमी में दिया है वह गलतफहमी में दिया है। यह कहना गलत है कि मैं झूंठी गवाही दे रही हूं।

यद्यपि की वादिनी मुकदमा को दहेज के लिए मारा पीटा गया था, चार लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी थी और फोन पर तलाक की धमकी दी गयी थी, लेकिन जब स्वयं वादिनी मुकदमा द्वारा घटना से इंकार किया गया तो उसके इस बयान पर अविश्वास करते हुए मात्र अभियेाजन प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियेाजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप धारा–498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सलमान, इलियास उर्फ पप्पु व शकीला को मु0अ0सं0 134/2018 अंतर्गत धारा–498ए, 323, 504, 506,भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण

जमानत पर हैं उनका व्यक्तिगत बंध पत्र एवं जमानतनामा खंडित किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में पंद्रह हजार की एक जमानत तथा समराशि का व्यक्तिगत न्यायालय के समक्ष निर्णय की तिथि से 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(अभिनव तिवारी)
सिविल जज सी0डि0 / एफ0टी0सी0 / ए0सी0जे0एम0
दिनांक–12.11.2020 फैजाबाद
आई0डी0 नं0–यू0पी0 2216

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(अभिनव तिवारी)
सिविल जज सी0डि0 / एफ0टी0सी0 / ए0सी0जे0एम0
दिनांक–12.11.2020 फैजाबाद
आई0डी0 नं0–यू0पी0 2216